Clause 22, as amended, was added to the Bill.

Clauses 23 to 35 were added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Further discussion on the Finance Bill will be taken up tomorrow. Now, we will proceed to the next item.

---

18 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATIONS INCREASING CUSTOMS DUTY ON CERTAIN ITEMS OF IRON AND STEEL IMPORTED INTO INDIA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of Notification Nos. 116—Customs to 118—Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 28th April, 1981 together with an explanatory memorandum regarding increase in the Customs Duty on certain items of iron and steel imported into India, under section 159 of the Customs Act, 1962. [*Placed in Library. See* No. LT—2436/81.]

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

SIXTEENTH REPORT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): Sir, I beg to present the Sixteenth Report of the Business Advisory Committee.

18.02 hrs.

DISCUSSION RE. ATROCITIES ON ADVISIS IN DIFFERENT PARTS OF THE COUNTRY

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up Discussion under Rule 193. Shri George Fernandes.

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) उपाध्यक्ष महोदय, इसी महीने की 20 तारीख को आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के इन्द्रवल्ली गांव में जो पुलिस के द्वारा आदिवासियों की हत्या की गई, उस संदर्भ में आज सदन में यह बहस हो रही है।

पिछले कई दिनों से—असल में एक अरसे से—इस इलाके में रहने वाले आदिवासियों पर संगठित ढंग से जुल्म होता रहा है। आदिवासी न सिर्फ इस आदिलाबाद के इलाके में रहते हैं, बल्कि जो गोंड समाज के लोग देश के इस विभाग में हैं, वे पड़ोस के महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले में, जो आदिलाबाद से सटा हुआ जिला है, और इधर मध्य प्रदेश में भी उससे सटे हुए कुछ इलाके में रहते हैं।

18.03 hrs.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*].

आन्ध्र प्रदेश में इन लोगों क द्वारा एक अरसे से आन्दोलन चलता रहा, विशेषकर इस बात पर कि गैर-आदिवासियों द्वारा एक जमाने से उनकी जो जमीन छीन ली गई है, वह उनको वापस मिले। एक कानून भी बना, लेकिन उस कानून को अमल में लाने की बात कभी नहीं हुई और कानून के बावजूद आदिवासियों का शोषण उस इलाके में पिछले एक जमाने से ज्यों का त्यों जारी रहा। कई राजनैतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आदिवासयों की इस समस्या को ले कर उस इलाके में संगठनों को खड़ा किया—कोई एक संगठन नहीं है, अनेक संगठन हैं। कई जगहों पर ये संगठन गांव गांव में हैं, मगर उन लोगों ने आम तौर पर इन संगठनों को गिरिजन